मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई, 2016 (श्रावण 7, शक सम्वत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:04 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 191 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 215 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि नियम 267-क अधीन लंबित सूचनाओं में से 66 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है यह सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा. तद्नुसार -

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड की बैठक प्रतिमाह न होने,
(2) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इन्दौर के उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर कुत्ते के काटने पर इलाज हेतु रेबीज इन्जेक्शन उपलब्ध न होने,
(3) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य की मध्यप्रदेश शासन के निजी उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना का लाभ न मिलने,
(4) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ क्षेत्र के आरक्षित वर्ग के किसानों को मोटर के कनेक्शन माफी योजना में ऊर्जा विभाग द्वारा अनियमितता करने,
(5) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिला मुख्यालय में सीप नदी पर पुल निर्माण करने,
(6) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य की नीमच स्थित केंट क्षेत्र में सिंधी परिवारों को स्थाई पट्टे न दिये जाने,
(7) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य की कटनी जिले की कटनी नदी का पुल जर्जर होने,
(8) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मंदसौर स्थित सासकीय कन्या महाविद्यालय के स्नातक के छात्राओं को राजीव गांधी महाविद्यालय में प्रवेश के लिये बाध्य किये जाने,
(9) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की भोपाल स्थित राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (N. L. I.U.) में छात्रों की रेगिंग करने,
(10) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की रामस्थान, विकासखण्ड, सिंहावल जिला-सतना में अवैध उत्खनन होने,
(11) श्री जितेन्द्र गेहलोत, सदस्य की आलोट विधान सभा क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय में निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार व लापरवाही होने,
(12) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य की राजगढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया में एम्बुलेंस का अभाव होने,
(13) श्री मधु भगत, सदस्य की परसवाड़ा के नेवरगांव से भालेवाड़ा के मध्य नाले पर नवीन पुलिया का निर्माण किये जाने,
(14) श्री सुखेन्द्र सिंह , सदस्य की रीवा जिले के हनुमना ब्लॉक अंतर्गत पिपराही में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(15) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की कलेक्टर जिला श्योपुर के आदेश के अनुसार कराहल तहसील में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के खाते में स्वीकृत राशि अन्य खाते में जमा होने के बाद भी राशि वापसी हेतु,
(16) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य की देवास से पहरखा, गंगेव पहुंच मार्ग बनाये जाने,
(17) श्री लखन पटेल, सदस्य की प्रदेश के विभिन्न थानों में पड़े वाहनों की जप्ती का निराकरण करने,
(18) श्री गोपाल परमार, सदस्य की आगर विधानसभा क्षेत्र में आबकारी विभाग एवं शराब माफिया की सांठगांठ होने,
(19) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की नागदा खाचरौद तहसील में खाद्य विभाग अधिकारियों द्वारा कालाबाजारी करने,
(20) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य की विदिशा जिले में अतिवृष्टि से फसलें नष्ट होने,
(21) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य की शिवपुरी जिले के ग्राम विदालनी के पास उर नदी पर रपटे का निर्माण न होने,
(22) श्री गोवर्धन उपाध्याय, सदस्य की विदिशा जिले के रूसल्लीसाहू के पास स्थित नाले पर रपटे का निर्माण न होने,
(23) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य की चितरंगी क्षेत्र के ग्राम मोटियाटोला में आकाशीय बिजली गिरने से हुई क्षति का मुआवजा न मिलने,
(24) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के सी.ई.ओ. पर हुए हमले की पुलिस कार्यवाही न होने,
(25) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले में सड़क एवं पुल संबंधी समस्या होने,

(26) श्री हर्ष यादव, सदस्य की सागर जिले की देवरी विधानसभा क्षेत्र में शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार होने,
(27) श्री कैलाश चावला, सदस्य की मंदसौर जिले में डायलिसिस मरीजों के लिए डायलाईजर के लिए समस्या उत्पन्न होने,
(28) श्री दिनेश राय, सदस्य की भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवल योजना में धांधली होने,
(29) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की सतना जिले में तहसील रघुराज नगर अंतर्गत कृपालपुर में भू-माफियाओं एवं अधिकारियों की मिली भगत से नामांतरण होने,
(30) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य की देवास जिले के सिविल हास्पिटल कन्नौद में डॉक्टरों के पद रिक्त होने से मरीज परेशान होने,
(31) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य की भोपाल में चूना भट्टी स्थित गंदा नाला में बांस गिरने से नाला चौक होने,
(32) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र बड़वाहा में पेयजल हेतु फिल्टर प्लांट उपलब्ध नहीं होने,
(33) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सिंहावल विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत देवसर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तन करने,
(34) श्री प्रेम सिंह, सदस्य की भोपाल के हर्षवर्धन नगर में अतिवृष्टि से नाला क्षतिग्रस्त होने,
(35) श्री कालु सिंह ठाकुर, सदस्य की धरमपुरी जिले के माण्डव नगर स्थित विद्यालय में विज्ञान संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ न किये जाने,
(36) श्री अरूण भीमावद, सदस्य की शाजापुर जिले के दुपाड़ा कानड नलखेड़ा सड़क निर्माण में अनियमितता होने,
(37) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य की भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सह संस्थाओं द्वारा काद पुरानी दर पर विक्रय करने,
(38) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, सदस्य की धार्मिक आस्था के प्रतीक वृक्षों की कटाई की अनुमति से पर्यावरण को क्षति होने,
(39) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले में चिटफंड कंपनियों द्वारा निवेशकों को ठगे जाने,
(40) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की जिला छतरपुर के थाना ग ढ़ी मलहरा में पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध न करने,
(41) श्री जसवंत सिंह हाड़ा, सदस्य की विधानसभा क्षेत्र शुजालपुर अंतर्गत निम्नलिखित शालाओं को उन्नयन करने,
(42) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य की प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनांतर्गत चालू निर्माण कार्यों पर रोक होने,
(43) श्री मथुरालाल, सदस्य की रतलाम के ग्राम नामली में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन जर्जर होने,
(44) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की बुंदेलखण्ड मेडीकल कालेज के 2009 बेच के छात्र को स्थायी पंजीयन न देने,
(45) श्रीमती ऊषा चौधरी, सदस्य की सतना जिले के रघुराज नगर में पटवारियों के स्थानांतरण संबंधी,
(46) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य की हटा क्षेत्र के शक्ति सागर जलाशय का कार्य प्रारंभ न किये जाने,
(47) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य की सिवनी जिले के पलारी क्षेत्र में उच्च स्तर के पुल का निर्माण न होने,
(48) श्री कैलाश जाटव, सदस्य की गोटेगांव क्षेत्र के कनेरा नहीं पर पुल का निर्माण न होने,
(49) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के ग्राम मुहारा स्थित मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण होने,
(50) श्री संजय उइके, सदस्य की बैहर विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन करने,
(51) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य की खण्डवा के ग्राम पुनासा में प्री मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास के जर्जर भवन का नवीन निर्माण न किये जाने,
(52) श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य की राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ विधानसभा के ग्राम कोटरी कलां में स्कूल भवन जीर्णशीर्ण होने,
(53) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की पी.ई.बी. द्वारा संविदा शिक्षकों की भर्ती परीक्षा की एक निश्चित तिथि घोषित की जाने,
(54) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक, सदस्य की खजुराहो का मास्टर प्लान लागू न होने,
(55) श्री इंदर सिंह परमार, सदस्य की शाजापुर जिले के कई ग्रामों में अवैध शराब की बिक्री होने,
(56) श्री सचिन यादव, सदस्य की उपयंत्री नगर परिषद अमरपाटन द्वारा गुंडागर्दी करने,
(57) श्रीमती संगीता चारेल, सदस्य की सैलाना नगर परिषद अंतर्गत स्वीकृत फिल्टर प्लांट निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन होने,
(58) श्री नागर सिंह चौहान, सदस्य की जिला अलीराजपुर अंतर्गत थाना चांदपुर के ग्राम बाकोडिया में परिवारों को गांव से बाहर निकाले जाने,
(59) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य की सीहोर जिले के इछावर विधानसभा क्षएत्र के शासकीय हाई स्कूल में बिजली प्रदाय पूर्व बिल देने,
(60) डॉ. मोहन यादव, सदस्य की उज्जैन जिले के ग्राम मुण्डला सुलेमान में पुलिया निर्माण करने,
(61) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य की गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र के पर्यटन स्थलों का नगर निगम द्वारा आधिपत्य न देने,
(62) श्रीमती मीना सिंह, सदस्य की उमरिया जिले के अंतर्गत थाना वीरसिंहपुर पाली एवं मानपुर में पुलिस प्रशासन की लापरवाही होने,
(63) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले की नगर पंचायत लोधीखेड़ा में भ्रष्टाचार किये जाने,
(64) श्री हजारीलाल दांगी, सदस्य की राजगढ़ जिले के खिलचीपुर व जीरापुर तहसील के किसानों के खसरा को डाटा बेस ऑनलाईन न होने,
(65) श्रीमती प्रमिला सिंह, सदस्य की शहडोल जिले की ब्यौहारी में पदस्थ नायाब तहसीलदार द्वारा पद का दुरूपयोग किये जाने तथा
(66) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की प्रदेश के विद्यालयों में शौचालय का निर्माण कार्य बंद होने.

सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

3. शून्यकाल में उल्लेख

(1) विद्युत केन्द्रों के खम्बों पर आधारित कार्य बंद किए जाना

श्री बाबूलाल गौर, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि - बैतूल जिले के सारणी, पाथाखेड़ा और दो अन्य खदानों में विद्युत केन्द्रों के पोलों पर आधारित कार्य बंद न किये जाए जिससे ठेका मजदूर बेकार न हों.

4. अध्यक्षीय व्यवस्था

सिंहस्थ कार्यों में अनियमितता संबंधी दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग विषयक

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा मांग की गई कि - सिंहस्थ कार्यों में हुई अनियमितताओं के संबंध में आसंदी से अनुरोध किया कि आपने स्थगन प्रस्ताव इसलिए अस्वीकार कर दिये हैं क्योंकि वह तात्कालिक विषय नहीं था. वह तात्कालिक विषय कैसे नहीं है ? इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि अब सिंहस्थ समाप्त हो गया है आप स्थगन प्रस्ताव के नियम पढ़ लें कि स्थगन प्रस्ताव जिन विषयों पर लिया जाता है. वैसे भी उस सम्बन्ध में अनुपूरक बजट तथा विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा में सभी सदस्यों ने भाग ले लिया है. नियमों में यह स्पष्ट लिखा है कि यदि किसी विषय पर अन्य माध्यमों से चर्चा हो चुकी हो तो स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया जाता है. इसलिए स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अस्वीकृत किया गया.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत मंत्री द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि – संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार, कौल एण्ड शकधर की पुस्तक में यह स्पष्टत: इंगित किया है कि ऐसे विषय जिन पर पूर्व में कई बार, जैसे अनुपूरक बजट आदि के माध्यम से चर्चा हो चुकी हो, उसी पर स्थगन या ध्यानाकर्षण नहीं लिया जा सकता है. फिर किस नियम के अंतर्गत माननीय सदस्य यह कह रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय द्वारा पुन: स्पष्ट किया गया कि इसीलिए वह स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है. श्री रामनिवास रावत द्वारा मंत्री महोदय से व्यवस्था का प्रश्न प्रश्नकाल और शून्यकाल में नहीं उठाने की परम्परा की बात कहने पर, अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि प्रश्नकाल में नहीं उठाया जा सकता, शून्यकाल में उठा सकते हैं, बशर्ते उसी दिन की कार्य सूची में कोई विषय आया हो. जो विषय शून्यकाल के बाद आने वाला हो उस पर उठाया जा सकता है.

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

सदन के मामलों में बाहर वक्तव्य दिए जाने सम्बन्धी आपत्ति एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि - श्री रामनिवास रावत ने विधानसभा में पूछे गये प्रश्न के संबंध में यह समाचार पत्र में दिया था जिसमें अध्यक्ष/आसंदी के खिलाफ जो आपत्तियां मीडिया में दीं यह बहुत आपत्तिजनक हैं यह विशेषाधिकार भंग की श्रेणी में आता है. उन्होंने विधानसभा में यह आरोप लगाया है कि उनके सवाल को बदल दिया है. मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के स्थायी आदेश 19-क (2) में उल्लेख है कि – "प्रश्न व्यक्ति विशेष या प्रकरण विशेष की पैरवी के रूप में नहीं होगा". इसके बावजूद इन्होंने समाचार पत्र के माध्यम से जो टिप्पणी की है वह विशेषाधिकार का सवाल है और इस पर चर्चा करनी चाहिए. प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 36 में यह उल्लेख है कि- (9) इसमें किसी व्यक्ति के पदेन या सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण के बारे में उल्लेख नहीं किया जावेगा. (10) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र या आचरण पर अभ्युक्ति नहीं की जाएगी जिसके आचरण पर मूल प्रस्ताव द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो. ऐसी बातें मीडिया में करना उचित नहीं है और मैं इस विशेषाधिकार में लेकर कार्यवाही की मांग करता हूं. इसे विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करना चाहिए.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य द्वारा भी उल्लेख किया गया कि - मैंने भी आज सुबह समाचार-पत्र 'पत्रिका' पढ़ा. वास्तव में सदन के अंदर की कार्यवाही जो किसी सदस्य के द्वारा मीडिया के समक्ष या अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत यदि प्रकाशित की जाती है, उसका ही समाचार पत्रों में उपयोग किया जाता है. कुछ ऐसे बिन्दु होते हैं. श्री रावत एक वरिष्ठ सदस्य हैं, जो मंत्री भी रहे हैं और पार्टी के सचेतक भी हैं. जो समाचार पत्र में भाषा छपी है, उससे कहीं न कहीं विशेषाधिकार हनन का मामला बन सकता है. कल इस प्रकरण पर पर्याप्त बहस हुई थी. इसमें नियम 36 (9) एवं (10) का उल्लंघन हुआ है. मैं यह आग्रह करुंगा कि आसंदी की तरफ से इस सबंध में नये और पुराने तमाम सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता का एक प्रशिक्षण आयोजित किया जाये, ताकि इस तरह का मामला बाहर नहीं जाना चाहिये, जो विशेषाधिकार हनन का मामला बन सकता हो, अन्यथा यह रोज की नई बात हो जायेगी और इस प्रकार से कहीं न कहीं हम मर्यादा भूल जायेंगे. आसंदी का सम्मान, व्यवस्था और नियम-प्रक्रिया का सम्मान करना हम सबका दायित्व है. अगर आज इसके ऊपर कार्यवाही नहीं होती है, अगर आज इस वक्तव्य पर कहीं इस प्रकार से आप संज्ञान नहीं लेंगे, तो कोई नये सदस्य भी कल वर्जन देंगे और मीडिया में जायेंगे. मेरा आपसे आग्रह है कि इसको गंभीरता के साथ लेते हुए, जैसा कि श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने भी कहा है, विधान सभा की विशेषाधिकार समिति बनी हुई है, उसके सभापति हैं, उसमें सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष के भी सम्मानित सदस्य होते हैं, ऐसे मामले उसमें जाने चाहिये.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने अनुरोध किया कि - आसंदी का अपमान मतलब पूरे सदन का अपमान होता है. आपके सम्मान एवं स्वाभिमान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है. इस कारण इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाए.

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने इसी विषय में आसंदी से अनुरोध किया कि – श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने प्रश्न लगाने के बाद आपको यह लिखकर दिया था कि उनके प्रश्न को बदला गया है. पहले तो प्रश्नकर्ता ने सूचना दी कि शायद यह प्रश्न आयेगा ही नहीं. इसलिए पूर्व में ही आपसे कार्यालय में, भेंट करके इस संबंध में अवगत कराया गया. परंतु इसके बाद वह मामला सदन में तब आ गया जब श्री रावत ने इस प्रश्न को उठाया कि उनका प्रश्न गलत या बदल कर आया है. तब आसंदी से भी कहा गया है कि हम उसको दिखवायेंगे. अब जबकि इस प्रश्न में आपका निर्देश हो चुका है कि हम इसकी जांच करायेंगे, तो उसके बाद क्या हुआ ? जब वह मामला सदन में आ चुका है, तो वह समाचार पत्रों में भी छपेगा. इसमें किसी तरह से विशेषाधिकार हनन का कोई प्रश्न नहीं बनता है. अतः मैं कहना चाहता हूं कि अगर सत्ता पक्ष षडयंत्र रचकर विपक्ष के सदस्यों की सच्चाई को दबाने के लिये, विशेषाधिकार की धौंस देना चाहता है, तो इससे विपक्ष दबने वाला नहीं है.

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष द्वारा मत व्यक्त किया गया कि - जिस तरीके से सत्ता पक्ष के विधायक साथियों द्वारा अभी मामला रखा गया है, इससे सदन के विधायकों की गरिमा को ठेस भी लगेगी. जिस तरह से अभी हमारे सदस्यों ने पूरा वर्णन किया है कि आपका प्रश्न हम आने नहीं देंगे या ऐसा घुमवा देंगे. उसके बाद हमारे माननीय सदस्य जो हमारी पार्टी के मुख्य सचेतक भी हैं, उनके ऊपर कर्रवाई करने की बात अगर सत्ता पक्ष के विधायक करते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है.

श्री बाबूलाल गौर, सदस्य द्वारा मत व्यक्त किया गया कि - मध्यप्रदेश विधान सभा की जो प्रक्रिया है और आपके जो स्थाई आदेश हैं, उसके अन्तर्गत अगर आपके कोई कक्ष में बातचीत हुई है या कोई लिखित प्रश्न दिया है, तो यह विधान सभा के सदन का विषय नहीं है और न ही यहां उस पर प्रश्नोत्तर होना चाहिये. चूंकि वह चर्चा के अध्यक्षीय कक्ष में हुई है इसलिए उसकी चर्चा सदन के बाहर भी नहीं होना चाहिये. विधान सभा अध्यक्ष का आदेश सर्वोपरि होता है. आपने जब कह दिया कि हम जांच करायेंगे, तो इसकी क्या आवश्यकता थी कि बाहर जाकर पत्रकारों को यह बात कही? इसीलिये इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है. इसलिये इनके खिलाफ कर्रवाई की जाये.

कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर, अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि – "अब इस पर बहस नहीं होगी. अभी किसी के खिलाफ कोई प्रिवीलेज तो आया नहीं, इसलिए अनुमति देने का प्रश्न नहीं उठता. डॉ. गोविंद सिंह, वरिष्ठ सदस्य ने यह बात रखी है लेकिन अभी उनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है, इसलिए अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है. माननीय सदस्यगण श्री सकलेचा, श्री सिसोदिया, डॉ. गोविन्द सिंह एवं वरिष्ठतम सदस्य श्री बाबूलाल गौर, आदरणीय मंत्री श्री गोपाल भार्गव और माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने भी अपने विचार रख दिये हैं. आज के समाचार पत्र 'पत्रिका' में प्रमुखता से यह समाचार छपा है, और ये दोनों प्रश्न भी छपे हैं, जो श्री रामनिवास रावत ने दिए थे. जैसा कि डॉ. गोविंद सिंह कह रहे थे कि श्री रावत ने एक बार जो प्रश्न उठा दिए, इसलिए वे प्रश्न सदन की प्रापर्टी बन गए थे, ऐसी बात नहीं है. 25 जुलाई, 2016 को यहा कोई प्रश्न नहीं आया था, प्रश्न 28 जुलाई, 2016 को आया है और परिवर्तित आया है. परिवर्तित करने का विधानसभा सचिवालय को नियमान्तर्गत अधिकार है. माननीय सदस्यों ने नियमों के उल्लंघन की बात कहीं है, क्योंकि यह विषय गंभीर है. इस तरह से सदन की बातें अखबारों के माध्यम से बाहर आएगी तो आगे जाकर सदन का कोई उपयोग नहीं रहेगा और न ही कोई मान-मर्यादा रहेगी, इसलिए किसी माननीय सदस्य को ऐसा नहीं करना चाहिए. कोई भी बात जब तक सदन की प्रापर्टी नहीं बनती, तब तक बाहर नहीं जाना चाहिए, यही नियम है, किन्तु इस पर अभी प्राथमिक बात हुई है. एक समाचार पत्र में ही आया है, अब इस पर कोई विस्तृत जांच लम्बित नहीं है और न ही कोई विवरण आया है. इन सब बातों की जांच करके इस पर निर्णय लिया जाएगा. अब इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं".

6. शून्यकाल में उल्लेख (क्रमशः)

(2) सतना जिले के महापुरुषों की जयंती विषयक

श्रीमती उषा चौधरी, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – दिनांक 30.7.2016 को सतना जिले में महापुरूषों की जयंती मनाने के दौरान एक संगठन के द्वारा अनुचित व्यवहार किया गया. दूसरी बात 4.5.2016 को क्षेत्र के कुछ गांवों में ओले पड़े थे लेकिन आज तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है.

7. अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमशः)

सिंहस्थ कार्यों में अनियमितता संबंधी दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग विषयक

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आसंदी के माध्यम से अनुरोध किया गया कि - जैसा माननीय मुकेश नायक ने चर्चा में कहा था कि आपके कक्ष में हुई चर्चा का उल्लेख किया और आप उन्हें सिंहस्थ पर बोलने की अनुमति दे रहे हैं. मेरा यह निवेदन है कि निश्चित रूप से इस प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इसलिए आप उन्हें सुने वह आपका अधिकार है, आप उन्हें अनुमति देंगे तो वे कहेंगे, लेकिन हमको भी सुने, यह गुजारिश है. मेरी आपत्ति उनके द्वारा विषय उठाने या उस पर आपकी अनुमति देने पर नहीं है, मैं आपत्ति कर भी नहीं सकता. हम सब, पूरा प्रदेश और देश यह जानता है कि अब यह मामला क्यों उठा रहे हैं. अभी तक विपक्ष द्वारा न तो स्थगन की, न ध्यानाकर्षण की बात हुई, पूरा सत्र निकल गया. बजट पर पूरी चर्चा हुई और लगातार इस विषय को उठाकर भ्रम पैदा किया गया कि अनियमितता हुई. सिंहस्थ हमारी आस्था का केन्द्र है. इसीलिए हमारे प्रदेश और देश भर के 8 करोड़ श्रृद्धालुओं ने यहां आकर इसका लाभ उठाया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि – "जैसा श्री बाबूलाल गौर, माननीय सदस्य ने कहा था कि कक्ष की चर्चाएं नहीं बताना चाहिए, श्री मुकेश नायक ने उस चर्चा का हवाला दे दिया. ये जो प्रेक्टिसेज होती जा रही है, यह बड़ी अच्छी नहीं है, इससे सदन और अध्यक्षीय कक्ष की चर्चाओं की गरिमा समाप्त होती है. अतः इस तरह से चर्चाएं नहीं करनी चाहिए. सिंहस्थ पर कोई विषय उठाने की औपचारिक अनुमति नहीं दी गई है, किन्तु शून्यकाल में जो सूचनाएं यहां ली जाती है, जिनके नाम यहां पढ़े जाते हैं. उनके अलावा भी कुछ माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दे दी जाती है. उसी के तहत दी है. उसमें विषय उठा सकते हैं".

श्री मुकेश नायक, सदस्य द्वारा मत व्यक्त किया गया कि – आसंदी से मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की है. आपने यह कहा है कि मैंने कक्ष की बात को यहां पर कहा. उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा. यह मेरी गलती है. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और पूरे सदन के सामने मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं. अब मैं आपसे विनती करता हूं कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी. सदस्यों से गलती होती है, उन्हें गलती सुधाने का अधिकार है.

8. इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह प्रवेश एवं लगातार व्यवधान के कारण कार्यवाही स्थगित की जाना

सदन में सिंहस्थ मामले पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा की मांग को लेकर व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्याह्न 12.38 बजे विधान सभा की कार्यवाही स्थगित की जाकर 1.02 बजे पुनः समवेत हुई. किन्तु पुनः अत्यधिक व्यवधान होने पर मध्याह्न 1.11 बजे विधान सभा की कार्यवाही स्थगित की जाकर 1.25 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि - आज भोजनावकाश नहीं होगा, माननीय सदस्यों के लिए सदन की लॉबी में स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करने का कष्ट करें.)

(सदन में लगातार व्यवधान के मध्य कार्यवाही जारी रही, जिसमें कार्यसूची में उल्लेखित विषयों को लिया गया.)

9. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ओमप्रकाश धुर्वे, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने दिनांक 20 जुलाई, 2016 को शून्यकाल में चर्चा के दौरान सदन में दिये गये आश्वासन की पूर्ति के तारतम्य में भोपाल के बाढ़ पीड़ितों को प्रदाय किये गये गेहूं में मिट्टी की मिलावट के संबंध में जांच प्रतिवेदन पटल पर रखा.

(2) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 पटल पर रखा.

(3) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने सरदार सरोवर परियोजना फर्जी विक्रय पत्र एवं पुनर्वास स्थल अनियमितता जांच आयोग, इंदौर के जांच प्रतिवेदन एवं उक्त प्रतिवेदन पर की जाने वाली कार्यवाही का विवरण तथा संकल्प पटल पर रखे.

(4) श्री सुरेन्द्र पटवा, राज्यमंत्री, पर्यटन ने मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 पटल पर रखा.

10. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में उल्लेखित 34 ध्यानाकर्षण सूचनाओं में से प्रथम 6 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को नियम 138 (3) को शिथिल कर चर्चा में लिए जाने एवं शेष पढ़ी हुई मानी जाने सम्बन्धी घोषणा की गई. तदुपरांत निम्नानुसार सूचनाएं चर्चा हेतु ली गई :

(1) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा जिले में नहरों के निर्माण में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना पर आसंदी से उनका नाम पुकारा गया किन्तु उनके द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गई.

(2) श्री जितू पटवारी, सदस्य की धार जिले की राजेन्द्र सूरी सहकारी साख संस्था द्वारा आर्थिक अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना पर आसंदी से उनका नाम पुकारा गया किन्तु उनके द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गई.

(3) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य ने सीधी जिले में पंचायत योजनाओं से संबंधित कार्य के दोषियों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(4) श्री दुर्गालाल विजय एवं श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्यगण ने प्रदेश के अनेक जिलों में अमानक स्तर के खाद एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री, सहकारिता ने वक्तव्य दिया.

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सिंहस्थ के मामले पर चर्चा की मांग करते हुए गर्भगृह में प्रवेश कर नारेबाजी करते रहे. इस कारण, सदन में व्यवधान के मध्य कार्यसूची में उल्लेखित विषयों पर कार्यवाही जारी रही.)

(5) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य ने उज्जैन जिले की महिदपुर पुलिस द्वारा फरार आरोपियों को गिरफ्तार न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(6) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य ने ग्वालियर के थाटीपुर में प्रदर्शनकारियों द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उपपद (7) से (34) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए –

(7) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की प्रदेश में बंद पड़े बोरवेलों को न पाटे जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.

(8) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी पुलिस द्वारा आम नागरिकों को परेशान किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(9) श्री मुकेश नायक, सदस्य की मुख्यमंत्री की घोषणाओं का पालन न किये जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य.

(10) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल शहर के अनेक क्षेत्रों में मटमैला पेयजल प्रदाय होने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री वक्तव्य.

(11) श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य की ग्वालियर जिले के ग्राम गोवई में डायरिया का प्रकोप होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(12) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले में सहरिया जाति के हितग्राहियों के उत्थान हेतु आवंटित राशि का उपयोग न किये जाने संबंधी सूचना तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(13) श्रीमती ऊषा चौधरी, सदस्य की सतना जिले के अधियारी बांध के डूब प्रभावितों को मुआवजा राशि न मिलने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(14) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य की कटनी शहर में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को स्थानांतरित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(15) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर क्षेत्र के अनेक ग्रामों को पार्वती नदी से सिंचाई की सुविधा मुहैया न कराये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(16) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य की कटनी जिले के बरही तहसील अंतर्गत चरनोई भूमि का अवैध आवंटन किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(17) श्री आरिफ अकील, सदस्य की प्रदेश के अधिकांश जिलों में महिला डेस्क की स्थापना न किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(18) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की धार, झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में सिलोकोसिस नामक बीमारी संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(19) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य की प्रदेश में पंचायत स्तर पर गौशालाएं स्थापित न किये जाने संबंधी सूचना तथा पशुपालन मंत्री का वक्तव्य.

(20) श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य की गुना जिले के राघोगढ़, आरोन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद रिक्त होने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

(21) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य की प्रदेश में रिक्त तथा बैकलाग पदों की पूर्ति न किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य.

(22) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की होशंगाबाद जिले में तम्बाकू युक्त गुटकों की बिक्री होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(23) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य की कटनी स्थित कैल्डरीज इंडिया लिमिटेड रिफैक्ट्रीज वर्क के मजदूरों का शोषण किये जाने संबंधी सूचना तथा श्रम मंत्री का वक्तव्य.

(24) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य की मुरैना जिले के ग्राम शेखपुर स्थित भूमि की विसंगतियां दूर न किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(25) श्री वेलसिंह भूरिया, सदस्य की धार जिले के ग्राम राजोद में पानी निकासी हेतु नाली का निर्माण न किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

(26) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के अनेक ग्रामों की भूमि को कम्प्यूटर अभिलेख में दर्ज न किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(27) सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य की बालाघाट जिले के ग्राम टेमनी में दो युवकों को जिन्दा जलाये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(28) सर्वश्री अजय सिंह एवं रामनिवास रावत, सदस्यगण की प्रदेश में मनरेगा अंतर्गत किये गये कार्यो की मजदूरी न मिलने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

(29) पंडित रमेश दुबे, सदस्य की भोपाल के गणेश नगर के रहवासियों को आवास बनाने की अनुमति न दिये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(30) सर्वश्री लखन पटेल, दिनेश राय, सदस्य की प्रदेश के बारहवीं पास छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत न किये जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(31) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सीधी जिले के अनेक स्कूलों को बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(32) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की प्रदेश के अनुसूचित जाति छात्रावासों हेतु एल.ई.डी. बल्ब खरीदी में भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी सूचना तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(33) श्री के.पी.सिंह, सदस्य की शिवपुरी जिले के दो ग्रामों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल न किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

(34) श्री रामनिवास रावत एवं कुंवर सौरभ सिंह, सदस्यगण की प्रदेश की नर्मदा नदी से रेत का उत्खनन होने संबंधी सूचना तथा खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य.

11. स्वागत उल्लेख

श्री अरुण यादव, पूर्व केन्द्रीय मंत्री का स्वागत

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से सदन की दीर्घा में श्री अरुण यादव, पूर्व केन्द्रीय मंत्री की उपस्थिति पर उनका स्वागत उल्लेख किया गया.

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(2) श्री हरवंश राठौर (जिला-सागर)
(3) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(4) श्रीमती सरस्वती सिंह (जिला-सिंगरौली)
(5) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)

(6) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(7) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल (जिला-कटनी)
(8) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(9) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर (जिला-खण्डवा)
(10) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(11) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(12) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)
(13) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(14) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर मालवा)
(15) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(16) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मन्दसौर)
(17) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(18) श्री मथुरालाल (जिला-रतलाम)
(19) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(20) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)
(21) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(22) श्री महेश राय (जिला-सागर)
(23) श्री चेतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
(24) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मन्दसौर)
(25) श्रीमती उमा देवी खटीक (जिला-दमोह)
(26) श्री घनश्याम पिरौनियाँ (जिला-दतिया)
(27) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(28) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(29) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(30) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(31) डॉ.रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(32) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(33) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(34) श्री कुँवर सिंह टेकाम (जिला-सीधी)
(35) श्रीमती ऊषा चौधरी (जिला-सतना)
(36) श्री के.के. श्रीवास्तव (जिला-टीकमगढ़)
(37) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(38) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)
(39) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया (जिला-मुरैना)
(40) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक (जिला-छतरपुर)
(41) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(42) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(43) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी)
(44) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(45) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(46) कुँवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(47) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)

13. विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री जगदीश देवड़ा, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन संबंधी नियमावली के नियम-228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि –

जिला इन्दौर के अंतर्गत मानपुर-लेबड़ मार्ग में वालेचा एल.एम. टोल प्राइवेट लिमिटेड के टोला प्लाजा नाके के कर्मचारियों तथा थाना प्रभारी, मानपुर के विरूद्ध श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य, विधान सभा के साथ अपमानजनक व्यवहार एवं जनप्रतिनिधित्व कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

14. नियम 239 के अंतर्गत विशेषाधिकार भंग की विचाराधीन सूचनाओं संबंधी सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि - "श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य से श्री पी.के. सिंह, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग के विरूद्ध तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य से आर.पी.एफ. के सब इंस्पेक्टर श्री मदन सिंह पटेल एवं अन्य पुलिस कर्मियों के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो उनके समक्ष विचाराधीन है."

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 18 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री विश्वास सारंग ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 18 सन् 2016) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(अध्यक्ष महोदय महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पद 6 के उप पद (2) में उल्लिखित विधेयक पर 15 मिनट तथा उप पद (3) में उल्लिखित विधेयक पर 30 मिनट का समय चर्चा हेतु आवंटित किया गया.)

(2) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 22 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्रीमती माया सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 22 सन् 2016) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण विधेयक, 2016 (क्रमांक 23 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री उमाशंकर गुप्ता ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण विधेयक, 2016 (क्रमांक 23 सन् 2016) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

16. अध्यक्षीय घोषणा

अशासकीय संकल्प बाद में लिये जाने विषयक

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में उल्लेखित अशासकीय संकल्प बाद में लिए जाएंगे.

17. राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया.

18. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा अपराह्न 2.09 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 29 जुलाई, 2016